



Neutral Citation No. – 2026:AHC:71698

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या – 35936 वर्ष 2025

लियाकत अली

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता

: औशिम लूथरा, उत्कर्षिणी सिंह

विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए., संजय द्विवेदी

न्यायालय संख्या-83

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन संख्या 02 वर्ष 2026 पर आदेश

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री औशिम लूथरा, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय द्विवेदी तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. श्री ओम प्रकाश मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा भारत संघ को विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय के माध्यम से विपक्षी संख्या-3 तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद को विपक्षी संख्या-4 के रूप में पक्षकार बनाए जाने हेतु पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. विद्वान ए.जी.ए. को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन स्वीकार किया जाता है।

5. आवश्यक पक्षकार बनाए जाने संबंधी संशोधन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज के दिन के दौरान धारा 528 बी.एन.एस.एस. के आवेदन में सम्मिलित किया जाए।

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के आवेदन पर आदेश

6. यह आवेदन आवेदक द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अधीन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-2, सहारनपुर द्वारा वाद संख्या 1965 वर्ष 2023 (राज्य बनाम लियाकत अली एवं अन्य) जो मुकदमा अपराध संख्या 116 वर्ष 2020, धारा 406, 420 एवं 506 भा.दं.सं., थाना-चिलकाना, जनपद-सहारनपुर से उद्भूत है, में पारित दिनांक 04.12.2024 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

7. आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसके पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया है।

8. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक एवं अन्य के विरुद्ध धारा 406, 420 एवं 506 भा.दं.सं. के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें विवेचना के उपरान्त संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण को समन किया गया तथा उपर्युक्त वाद आरोप निर्धारण के चरण में है। आवेदक/अभियुक्त लियाकत अली जमानत पर है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. इससे पूर्व दिनांक 02.08.2016 को पासपोर्ट संख्या P0831009 उसे जारी किया गया था, जो खो गया है और इस संबंध में संबंधित पासपोर्ट अधिकारी को सूचना प्रदान की गई तथा उसके बाद उसने पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया। तत्पश्चात थाना-चिलकाना से रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें उक्त वाद का विवरण दिया गया। आवेदक को उमरा/हज हेतु पासपोर्ट की आवश्यकता है। उसकी 72 वर्षीय माता श्रीमती हसीना को उमरा/हज के लिए जाना है और उनके नाम पासपोर्ट संख्या बी9069557 जारी किया गया है। आवेदक को अपनी माता के साथ उमरा/हज के लिए जाना है, इसलिए उसे पासपोर्ट संख्या जेड7401414 के नवीनीकरण हेतु न्यायालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है।

10. इस आवेदन पर संबंधित न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी, जिन्होंने इसका विरोध किया और रिपोर्ट दी कि वर्तमान वाद न्यायालय के समक्ष लंबित है तथा आरोप अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं। ऐसी पूर्ण संभावना है कि यदि आवेदक का पासपोर्ट नवीनीकृत कर दिया जाता है, तो वह विदेश चला जाएगा और इस वाद में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा।

11. सुनवाई के उपरांत विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभিনিर्धारित किया कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध छल एवं कूटरचना के अपराध के लिए आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है और अभी तक आरोप निर्धारित नहीं किए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि आवेदक/अभियुक्त विदेश चला जाता है, तो वाद के निस्तारण में विलंब हो सकता है। संबंधित न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करते समय सत्र न्यायालय ने कई शर्तें अधिरोपित की थीं और अधिरोपित शर्तों में से एक यह थी कि आवेदक/अभियुक्त अपना पासपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के समक्ष समर्पित करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. ऐसी परिस्थितियों में पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

13. आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि उसने जमानत की सभी शर्तों का अनुपालन किया है तथा अपना पासपोर्ट समर्पित कर दिया है। अब वह अपनी माता के साथ धार्मिक यात्रा के लिए पवित्र नगर मक्का जाना चाहता है और इस संबंध में उसने न्यायालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि अभी तक आरोप निर्धारित नहीं किए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदन निरस्त किए जाने के पश्चात नौ माह बीत चुके हैं और आज तक आरोप निर्धारित नहीं किए गए हैं तथा उपर्युक्त आपराधिक वाद के लंबित होने के कारण पासपोर्ट प्राधिकारियों ने आवेदक से नया पासपोर्ट जारी किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने को कहा है। अतः आवेदक ने पासपोर्ट प्राधिकारियों के समक्ष अनापत्ति प्रमाण-पत्र/पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जो लंबित है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश द्वारा उसके धर्म के पालन के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। वह जमानत पर प्राप्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, अतः पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने के अनुरोध को निरस्त किया जाना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान है।

14. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदन का विरोध किया तथा भारत संघ की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय द्विवेदी ने इस आधार पर विरोध किया कि आवेदक के विरुद्ध आपराधिक वाद लंबित है, किन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया कि आरोप निर्धारित किए जाने के पश्चात संबंधित न्यायालय आवेदक के पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने पर विचार कर सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वंगला कस्तूरी रंगाचार्यलु बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दिनांक 27.09.2021 को पारित आदेश (आई.ए. संख्या 52346/2021, आपराधिक अपील संख्या 1343 वर्ष 2017) पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पासपोर्ट प्राधिकारी आपराधिक अपील के लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार नहीं कर सकता। सुविधार्थ, दिनांक 27.09.2021 के आदेश के प्रासंगिक अंश को निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है:—

“पासपोर्ट से इनकार केवल उस स्थिति में किया जा सकता है, जहां किसी आवेदक को आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व के पांच वर्ष की अवधि के दौरान ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता निहित हो और जिसके लिए कम से कम दो वर्ष के कारावास का दंड दिया गया हो। धारा 6.2 (एफ) उस स्थिति से संबंधित है, जहां आवेदक किसी आपराधिक न्यायालय में विचारण का सामना कर रहा है। वर्तमान में, यह निर्विवाद है कि आपराधिक अपील के निस्तारण तक अपीलार्थी की दोषसिद्धि प्रभावी है। उसे भुगताया जाने वाला दंड एक वर्ष की अवधि का है। पासपोर्ट प्राधिकारी इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील के लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार नहीं कर सकता। पासपोर्ट प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस न्यायालय में आपराधिक अपील के लंबित होने से संबंधित आपत्ति उठाए बिना आवेदक के पासपोर्ट का नवीनीकरण करे। अन्य शर्तों के पूर्ण होने के अधीन, अंतरिम आवेदन का निस्तारण किया जाता है।”

16. पासपोर्ट जारी किए जाने से इनकार किए जाने के आधार पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 (जिसे आगे “पासपोर्ट अधिनियम” कहा गया है) में निर्धारित किए गए हैं। सुविधा के लिए, धारा 6 को निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है:—

“6. पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज आदि से इनकार—

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, पासपोर्ट प्राधिकारी धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन किसी विदेशी देश की यात्रा करने के लिए पृष्ठांकन करने से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधार पर, और किसी अन्य आधार पर नहीं, इनकार करेगा, अर्थात्—

(क) यह कि आवेदक उस देश में ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो सकता है या उसके संलग्न होने की संभावना है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल हैं;

(ख) यह कि उस देश में आवेदक की उपस्थिति भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है या उसके हानिकारक होने की संभावना है;

(ग) यह कि उस देश में आवेदक की उपस्थिति उस देश अथवा किसी अन्य देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए प्रतिकूल हो सकती है या उसके प्रतिकूल होने की संभावना है;

(घ) यह कि केंद्रीय सरकार की राय में उस देश में आवेदक की उपस्थिति लोकहित में नहीं है।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, पासपोर्ट प्राधिकारी धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन किसी विदेशी देश की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधार पर, और किसी अन्य आधार पर नहीं, इनकार करेगा, अर्थात्—

(क) यह कि आवेदक भारत का नागरिक नहीं है;

(ख) यह कि आवेदक भारत से बाहर ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो सकता है या उसके संलग्न होने की संभावना है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल हैं;

(ग) यह कि भारत से आवेदक का प्रस्थान भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है या उसके हानिकारक होने की संभावना है;

(घ) यह कि भारत से बाहर आवेदक की उपस्थिति किसी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए प्रतिकूल हो सकती है या उसके प्रतिकूल होने की संभावना है;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ड) यह कि आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व की पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी समय आवेदक को भारत के किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और उसके संबंध में कम से कम दो वर्ष के कारावास का दंड दिया गया है;

(च) यह कि आवेदक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत में किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित है;

(छ) यह कि आवेदक की उपस्थिति के लिए किसी न्यायालय द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वारंट या समन जारी किया गया है अथवा उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है या ऐसे किसी न्यायालय द्वारा आवेदक के भारत से प्रस्थान को प्रतिबंधित करने वाला आदेश किया गया है;

(ज) यह कि आवेदक को स्वदेश प्रत्यावर्तित किया गया है और उसने ऐसे प्रत्यावर्तन के संबंध में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की है;

(झ) यह कि केंद्रीय सरकार की राय में आवेदक को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करना लोकहित में नहीं होगा।”

17. विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि लंबित आपराधिक वादों के संबंध में पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)

(ड) एवं (च) प्रासंगिक हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(ड) के अधीन पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया जा सकता है, यदि आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व के पांच वर्षों के दौरान आवेदक को भारत के किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो तथा उसके संबंध में कम से कम दो वर्ष के कारावास का दंड दिया गया हो। उन्होंने आगे पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(च) पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि यदि आवेदक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत में किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो ऐसी स्थिति में भी पासपोर्ट के आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। तथापि, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



द्वारा पासपोर्ट अधिनियम की धारा 22 के अधीन जारी दिनांक 25.08.1993 की अधिसूचना के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में आपराधिक वाद लंबित होने के बावजूद, यदि न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया हो, तो पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। चूंकि विद्वान ए.जी.ए. ने न्यायालय के संज्ञान में दिनांक 25.08.1993 का उक्त सरकारी आदेश लाया है, अतः उसे निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है:—

भारत सरकार विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त, 1993 जी.एस.आर. 570(ई)

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 14 अप्रैल, 1976 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 298(ड) के अधिक्रमण में, केंद्रीय सरकार, इस मत की होने के कारण कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा ऐसे भारत के नागरिकों को, जिनके विरुद्ध उनके द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत में किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित है तथा जो संबंधित न्यायालय के ऐसे आदेश प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उन्हें भारत से प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान की गई है, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (च) के उपबंधों के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

(क) ऐसे प्रत्येक नागरिक को जारी किया जाने वाला पासपोर्ट—

(i) यदि उपर्युक्त संदर्भित न्यायालय के आदेश में उस अवधि का उल्लेख किया गया है जिसके लिए पासपोर्ट जारी किया जाना है, तो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जारी किया जाएगा; या

(ii) यदि ऐसे आदेश में पासपोर्ट जारी करने अथवा विदेश यात्रा के लिए कोई अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, तो पासपोर्ट एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा; या

(iii) यदि ऐसा आदेश एक वर्ष से कम अवधि के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देता है, किन्तु पासपोर्ट की वैधता की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं करता है, तो पासपोर्ट एक वर्ष के लिए जारी किया जाएगा; या

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iv) यदि ऐसा आदेश एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देता है और पासपोर्ट की वैधता की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं करता है, तो पासपोर्ट आदेश में विनिर्दिष्ट विदेश यात्रा की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त खंड (क)(ii) और (क)(iii) के अनुसार जारी किया गया कोई भी पासपोर्ट एक समय में एक वर्ष के लिए आगे नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदक ने न्यायालय द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए विदेश यात्रा न की हो; और यह भी बशर्ते कि इस बीच न्यायालय का आदेश निरस्त या संशोधित न किया गया हो;

(ग) उपर्युक्त खंड (क)(i) के अनुसार जारी किया गया कोई भी पासपोर्ट केवल ऐसे नए न्यायालयीय आदेश के आधार पर आगे नवीनीकृत किया जा सकता है, जिसमें पासपोर्ट की वैधता की आगे की अवधि अथवा विदेश यात्रा की अवधि विनिर्दिष्ट की गई हो;

(घ) उक्त नागरिक पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी को लिखित रूप में यह वचन देगा कि यदि संबंधित न्यायालय द्वारा अपेक्षित किया जाए, तो वह जारी किए गए पासपोर्ट की वैधता के दौरान किसी भी समय उसके समक्ष उपस्थित होगा।”

18. इस संबंध में पासपोर्ट अधिनियम की धारा 22 के उपबंध भी प्रासंगिक हैं, जो निम्नवत् हैं:—

“22. छूट प्रदान करने की शक्ति— जहां केंद्रीय सरकार की राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे—

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या किसी उपबंध के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकती है; और

(ख) समय-समय पर ऐसी किसी अधिसूचना को निरस्त कर सकती है तथा तत्सदृश अधिसूचना द्वारा उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को पुनः ऐसे उपबंधों के अधीन कर सकती है।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



19. आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि मजिस्ट्रेट ने न्यायिक विवेक का समुचित प्रयोग नहीं किया है तथा आवेदक के आवेदन को निरस्त करते समय अत्यंत संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक ने यह नहीं बताया है कि वह अपनी माता के साथ धार्मिक प्रयोजन, अर्थात् मक्का की हज यात्रा के लिए कब जाना चाहता है, जबकि आवेदक ने अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह मक्का की हज यात्रा पर जाना चाहता है और यह सर्वविदित है कि सामान्यतः प्रत्येक वर्ष एक निश्चित माह में हज यात्रा होती है। न्यायालय भी आवेदक से उस समय के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता था, जब वह विदेश जाना चाहता है। अतः इस आधार पर अनापत्ति प्रदान करने से इनकार करना अनुचित है। जहां तक इस आपराधिक वाद के लंबित होने का प्रश्न है, अनापत्ति प्रमाण-पत्र से इनकार किए जाने के पश्चात भी कई माह बीत चुके हैं और अभी तक आरोप निर्धारित नहीं किए गए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि विचारण के निष्कर्ष तक पहुंचने में लंबा समय लग सकता है। संबंधित न्यायालय आवेदक पर युक्तियुक्त शर्तें अधिरोपित कर सकता है, जिससे विचारण के निष्कर्ष में अनावश्यक विलंब न हो। उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक के पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु न्यायालय द्वारा अनापत्ति प्रदान किए जाने के आवेदन को निरस्त करने के आधार अनुचित एवं उचित नहीं हैं।

20. तदनुसार, यह आवेदन **आंशिक रूप से स्वीकार** किया जाता है। आवेदक को पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने से इनकार करने वाले विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.12.2024 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, विधि के अनुसार, न्यायालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदक के उक्त आवेदन पर पुनः विचार कर निर्णय ले।

28 मार्च, 2026

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आदित्य जी

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”